वित्त मंत्री

श्री राजेश अग्रवाल

का

2018-2019 के बजट अनुमानों

पर

बजट भाषण

वित्तीय वर्ष 2018–2019 के बजट अनुमानों पर माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2018–2019 का आय–व्ययक प्रस्तुत कर रहा हूँ :–

मान्यवर,

हमने प्रदेश को एक ईमानदार, स्वच्छ एवं पारदर्शी सरकार देने एवं ऐसा नेतृत्व प्रदान करने का संकल्प लिया है जो प्रदेश के ग्रामीण विकास के साथ ही साथ शहरी विकास को भी गति दे सके। हम उस समय से बहुत आगे बढ़ आये हैं जब भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का अंग बना लिया गया था।

वर्ष 2017–2018 का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने इस सम्मानित सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि विगत सरकारों द्वारा प्रदेश के खजाने को व्यर्थ योजनाओं एवं कार्यों में लगाते हुए लगभग खाली करते हुए प्रदेश को आर्थिक पिछड़ेपन एवं विषम वित्तीय स्थिति की ओर धकेल दिया गया। मैंने सदन में यह भी उल्लेख किया था कि राज्य सरकार इस गंभीर आर्थिक एवं वित्तीय कठिनाई का समुचित निराकरण करने के लिए प्रतिबद्ध तथा प्रभावी कार्य योजनाओं एवं सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है।

हमारी परम्परा रही है कि कोई शुभ कार्य प्रारम्भ करते समय अपने इष्ट आराध्यों का स्मरण करते हैं। परम पूज्य मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम तथा सोलह कलाओं के अवतार श्रीकृष्ण को प्रणाम करते हुए आज मैं अपार हर्ष के साथ अवगत कराना चाहता हूँ कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए चरणबद्ध नीतिगत सुधारों एवं वित्तीय अनुशासन का अत्यन्त सकारात्मक प्रभाव पड़ा है तथा अल्प समय में ही प्रदेश में आर्थिक विकास की गति में व्यापक वृद्धि हुई है। प्रदेश को अव्यवस्था के घोर अंधकार से बाहर लाने के लिये जो विश्वास यहाँ के करोड़ों प्रदेशवासियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी तथा सहयोगी दलों के प्रति दर्शाया गया उसको मूर्त रूप देते हुए अत्यन्त अल्प अवधि में ही विकास का सूर्य बढ़ती आभा के साथ प्रदेश की उन्नति का पथ आलोकित कर रहा है। यहाँ पर मैं अपने विश्वास तथा संकल्प को निम्न पंक्तियों में सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ :–

"साहिल से मुस्कुरा के तमाशा न देखिये,
हमने ये खस्ता नाव विरासत में पायी है।
बारिश के इन्तज़ार में सदियाँ गुज़र गयीं,
उट्ठो ज़मीं को चीर के पानी निकाल लो।"

राज्य के वित्तीय असंतुलन को दूर करने हेतु विविध वित्तीय सुधार कार्यक्रमों का उल्लेख विगत आय–व्ययक में किया गया था। वर्ष पर्यन्त दृढ़ता के साथ इन सभी सुधार कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया। प्रगति की निरंतर समीक्षा एवं वित्तीय प्रबन्धन को प्राथमिकता देते हुए इन कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार पूर्णतया प्रतिबद्ध है। मुझे पूर्ण

विश्वास है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, गाँव, शहर, गरीबों और किसानों के साथ महिलाओं के कल्याण, अर्थात् सर्व समाज को स्वर्णिम काल में ले जाने में हम पूर्णतः सफल होंगे।

राज्य सरकार ने जहाँ एक ओर राज्य के प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता की तथा गैर–विकास कार्यक्रमों पर बढ़ते हुए व्यय को कम किया, वहीं संसाधन अर्जित करने के नए उपायों तथा विभिन्न विभागों में चल रही लगभग सभी योजनाओं की वर्तमान में उपादेयता के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा कराई तथा उनमें जनहित के व्यापक सुधार किए गए। वित्तीय संसाधनों को बढ़ाये जाने तथा अर्थपूर्ण संस्तुतियाँ उपलब्ध कराये जाने के निमित्त ''संसाधन समिति'' का गठन कर समीक्षा की गई।

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से भारत सरकार से विभिन्न योजनाओं में मिलने वाली धनराशियों से कृषि, पशुपालन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पुलों एवं सड़कों का निर्माण, मेट्रो परियोजना, बीमा योजना, शिक्षा एवं महिला सशक्तीकरण, विद्युतीकरण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की योजनाओं के वित्त पोषण में सहायता मिलेगी। प्रदेश को खुशहाल बनाने में इन कार्यक्रमों का दूरगामी प्रभाव होगा।

प्रदेश के ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के ''जनता दर्शन'' में प्रदेश के कोने–कोने से आए लोगों की समस्याओं की सुनवाई करके उसका प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है। ''इन्टीग्रेटेड ग्रिवांस रिड्रेसल सिस्टम'' पर अब जनता

जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ–साथ जनपद, तहसील, ब्लॉक व थानास्तरीय अधिकारियों के पास शिकायत सीधे ऑनलाइन दर्ज करा सकेगी। जन सुनवाई प्रणाली में जनपद स्तर पर लगभग 15 हजार अधीनस्थ अधिकारियों को शामिल किया गया है। यह नई व्यवस्था लागू की जा चुकी है। यहाँ मुझे यह दो पंक्तियाँ अत्यंत उपयुक्त लग रही हैं :–

गुज़रने को तो हज़ारों ही क़ाफ़िले गुज़रे,
ज़मीं पे नक़्श–ए–कदम बस किसी किसी का रहा।

मान्यवर,

दिनांक 01 जुलाई, 2017 से पूरे देश में एक साथ लागू जी0एस0टी0 कर प्रणाली गंतव्य आधारित कर प्रणाली है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या तथा उपभोक्ताओं की संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, अतः इस कर प्रणाली के द्वारा राज्य की राजस्व प्राप्ति में वृद्धि स्वाभाविक है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत में जी0एस0टी0 व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक राजस्व वृद्धि वाला राज्य बन रहा है। यह सम्भव हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की पारदर्शी एवं भ्रष्टाचारमुक्त कार्य प्रणाली के कारण।

पंजीकृत व्यापारियों के लिए ''जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना'' लागू की गई है। सभी कृषि उत्पादों तथा बीज, आवश्यक खाद्य सामग्रियों को जी0एस0टी0 से मुक्त रखा गया है। कृषि में प्रयोग होने

वाले हस्तचालित यंत्र, आर्गेनिक खाद, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित अधिकांश सेवाएं करमुक्त रखी गई हैं। जन सामान्य के दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तुएं करमुक्त रखी गई हैं। कर प्रणाली को सुगम बनाने हेतु नियमों में नियमित रूप से बदलाव भी जी0एस0टी0 काउंसिल द्वारा किए गए हैं।

वर्ष 2022 तक प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दो गुना करने हेतु रोड मैप तैयार कर आगे बढ़ना प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ''जैविक प्रमाणीकरण संस्था'' का गठन किया गया है। किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज तथा खाद समय से उपलब्ध कराई जा रही है। लगभग 1 करोड़ 29 लाख 42 हजार किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये हैं जो एक कीर्तिमान है।

किसान उदय के अंतर्गत **किसान ऊर्जा दक्ष कृषि पम्प आवंटन योजना** का शुभारम्भ किया गया। **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** के अन्तर्गत खरीफ 2017 में 25 लाख 22 हजार कृषकों की 24 लाख 66 हजार हेक्टेयर फसल का 9 हजार 7 सौ 13 करोड़ 29 लाख रुपये का बीमा कराया गया तथा रबी फसल में बीमा कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश मण्डी अधिनियम को किसानोन्मुखी बनाने के लिए हमारी सरकार संशोधन करने जा रही है, जिससे कृषकों के लिए अपने उत्पाद को बेचना और सरल हो जाएगा तथा उन्हें और व्यापक बाजार उपलब्ध हो सकेगा।

उत्पादन वृद्धि के लिए अधिक से अधिक क्षेत्र को उपचारित कर कृषि अंतर्गत आच्छादित किया जाना प्राथमिक आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर एवं जलभराव वाले क्षेत्रों को सुधारने, भूमि का उपचार आदि कराने हेतु **पं0 दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना** प्रारम्भ की गई है। परियोजना क्षेत्र के समस्त कृषक एवं कृषक मजदूर इस योजना के लाभार्थी होंगे। कृषकों के हित में **मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना** के अंतर्गत बीमा का आवरण मृत्यु की स्थिति में अधिकतम 5 लाख रुपये निर्धारित है, जिसका प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं समय पर मूल्य दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा डिजिटल पेमेण्ट की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। प्रदेश के कृषकों तथा कृषि से संबंधित जन सामान्य को जागरूक तथा शिक्षित बनाए जाने के लिए वर्तमान में कुल 69 केन्द्र संचालित हैं। प्रदेश में 20 नए कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना भारत सरकार के सहयोग से की जानी है।

ऐसे दूरस्थ गाँव जो प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित हैं का अभी तक सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है। बनटांगिया, मुसहर तथा थारू जनजाति आदि वर्गों के बाहुल्य वाले गाँवों में अवस्थापना एवं लाभार्थीपरक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूर्णतः नहीं मिल पाया है, इन पिछड़े राजस्व गाँवों में **मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना** लागू की जा रही है। इस प्रकार हमारी सरकार

गरीबों तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं के लाभ पहुँचाने के लिए कटिबद्ध है :–

वह और दर हैं, पुकारे से जो नहीं खुलते,
हमारा प्यार गरीबों के द्वार जाता है।

माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन में प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को दी जाने वाली सुविधाओं के क्रम में कृषि वानिकी से संबंधित वृक्षों के पातन एवं अभिवहन संबंधी अधिनियम तथा नियमावलियों का सरलीकरण किया गया है। **मनरेगा** के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की आय वृद्धि तथा क्षमता निर्माण हेतु **मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना** लागू की जा रही है। कृषकों की भूमि पर फलदार वृक्षों का रोपण कर फलोद्यान के विकास हेतु **मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना** लागू की गई है।

मान्यवर,

उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश केन्द्र के रूप में प्रस्तुत किये जाने हेतु फरवरी, 2018 में लखनऊ में **यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट, 2018** का आयोजन किया जा रहा है जिससे प्रदेश में व्यापक पूँजी निवेश सम्भावित है। इसमें राज्य के फोकस सेक्टर्स में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिल्म, पर्यटन, वैकल्पिक ऊर्जा तथा नागरिक उड्डयन आदि प्रमुख उद्योग तथा सेवाएं सम्मिलित हैं। इन्वेस्टर्स समिट को सफल बनाने के लिए दिल्ली, मुम्बई,

हैदराबाद, बंगलूरू, कोलकाता तथा अहमदाबाद में सफल रोड शो आयोजित किये जा चुके हैं।

प्रदेश के जनपदों में पारम्परिक शिल्पों एवं लघु उद्यमों के संरक्षण के लिए तथा उसमें अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने एवं उनकी आय में वृद्धि के लिए **एक जनपद एक उत्पाद** योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। अपनी उत्कृष्ट कलाओं से उत्तर प्रदेश के कुशल कारीगरों की अपनी एक अलग पहचान देश में है। इन उत्पादों के लिए मार्केटिंग, तकनीकी उन्नयन, कौशल एवं उद्यमिता प्रशिक्षण तथा आसान ऋण की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।

यहाँ पर महान् चिंतक पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी की कही गई यह पंक्तियाँ प्रासंगिक हैं :–

''मानव मात्र की आजीविका के केवल तीन साधन हैं, कृषि, पशुधन और उद्योग। इन्हीं तीन साधनों के सहारे मानव अपने स्वावलम्बन एवं स्वाभिमानपूर्ण जीवन बिता सकता है।''

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की औद्योगिक नीति के अंतर्गत विभिन्न सेक्टर्स में स्थापित होने वाले उद्योगों को वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु विभिन्न नीतियाँ निर्गत की गई हैं :–

1– उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017

2– उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2017

3–उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति–2017

4–उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति–2017

5–उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति–2017

6–उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति–2017

7–उत्तर प्रदेश एम0एस0एम0ई0 एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति–2017

8–वस्त्रोद्योग नीति–2017

9–फेरी नियमावली–2017

10–उत्तर प्रदेश खनन नीति–2017

ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत बिजनेस रिफॉर्म ऐक्शन प्लान को 20 विभागों द्वारा लागू कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। औद्योगिक इकाइयों से संबंधित स्वीकृतियों, अनुमोदनों, अनुमतियों तथा लाइसेन्सों की ऑन–लाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने के लिए **सिंगल विण्डो क्लीयरेन्स** की स्थापना सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में की जा रही है।

ई–प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए प्रदेश के सभी विभागों में पारदर्शिता हेतु ई–टेण्डरिंग प्रणाली तथा सचिवालय में ई–फाइलिंग व्यवस्था का आरम्भ कर दिया गया है। 250 करोड़ रुपये से स्टार्ट–अप फण्ड की शुरूआत की गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन घोषित किया गया है।

हमारी सरकार द्वारा 24 जनवरी, 2018 को प्रथम बार **उत्तर प्रदेश दिवस** धूमधाम से मनाया गया तथा इसे प्रत्येक वर्ष मनाए जाने का निर्णय लिया गया है।

वाराणसी में वैदिक साइंस सेंटर की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। सभी जनपदों में योग वेलनेस सेंटर की स्थापना के अंतर्गत 40 जनपदों में 42 सेंटरों की स्थापना की जा रही है।

सशस्त्र सेना के तीनों अंगों – थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत उत्तर प्रदेश के निवासी शहीद सैनिकों के आश्रितों को सेवायोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे गाँव, जो शहीद सैनिकों के गाँव हैं, उन्हें शहीद ग्राम घोषित करते हुए गाँव में तोरण द्वार तथा शहीद सैनिक की मूर्ति स्थापित की जाएगी।

मान्यवर,

राज्य के व्यापक हित में **उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति– 2017** बनाई गई है। **रीजनल कनेक्टीविटी स्कीम** के अंतर्गत नए रूट्स का विकास, इण्टर कनेक्टीविटी सुविधा, राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाना, कृषि निर्यात और ई–कॉमर्स आदि कारोबार को बढ़ावा देना तथा व्यापार और रोजगार के अवसरों के सृजन को बढ़ावा देना इस नीति के मुख्य उद्देश्य हैं। जनपद – गौतमबुद्ध नगर के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना करायी जा

रही है जिससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश तथा नागरिक विमानन सेवाओं में वृद्धि होगी।

कानून व्यवस्था

सभी नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के भयमुक्त वातावरण में एफ0आई0आर0 पंजीकृत कराने हेतु एफ0आई0आर0 काउण्टर खोले गये हैं। प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने तथा शांति व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के लिए प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल ऑफ आर्गनाइज्ड क्राइम (यूपीकोका) विधेयक विधान सभा में पारित कराया गया है। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एण्टी–रोमियो दल द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। एण्टी–भूमाफिया पोर्टल पर ग्राम सभा, शासकीय भूमि, सम्पत्ति के अवैध कब्जे तथा अतिक्रमण के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

आतंकवाद की नई चुनौतियों से निपटने के लिए गठित ए0टी0एस0 को सुदृढ़ किया गया है । ए0टी0एस0 के अन्तर्गत **स्पेशल पुलिस आपरेशन टीम** नामक अत्याधुनिक बल का गठन किया गया है। ए0टी0एस0 द्वारा जनपदीय पुलिस के **स्वाट टीम** के कर्मियों को आतंकवादी गतिविधियों व अन्य चुनौतियों से निपटने हेतु गहन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ।

गन्ना किसानों को सुविधाएं

दिसम्बर, 2017 तक चीनी मिलों द्वारा 252 लाख टन गन्ने की पेराई की गई, जिससे 25 लाख टन से अधिक चीनी का उत्पादन हुआ, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 185 लाख टन गन्ने की पेराई तथा 18 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। 31 जनवरी, 2018 तक 11 हजार 337 करोड़ रुपये का भुगतान गन्ना किसानों को कराया जा चुका है जो गत वर्ष इस अवधि में किए गए भुगतान से लगभग 37 प्रतिशत अधिक है। शरदकालीन गन्ना बुवाई हेतु 1 लाख 65 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। 80 लाख कुंटल उन्नतिशील गन्ना बीज गन्ना कृषकों को उपलब्ध कराया जाएगा।

खाद्य तथा रसद

किसानों के हित में पहली बार धान की खरीद 25 सितम्बर, 2017 से शुरू की गई। दिनांक 08 फरवरी, 2018 तक धान खरीद योजना में 40 लाख 68 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद हुई, जो गत वर्ष की तुलना में इसी अवधि में लगभग चार गुना अधिक है। मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत रबी खरीद वर्ष 2018–19 में प्रदेश के लिए राज्य सरकार द्वारा 50 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीद का कार्यकारी लक्ष्य रखा गया है। गेहूँ क्रय करने हेतु प्रदेश में कुल 5 हजार 500 क्रय केन्द्र खोले जाएंगे।

ग्राम्य विकास

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 9 लाख परिवारों का पंजीकरण करते हुए 8 लाख 87 हजार आवास स्वीकृत कर धनराशि सीधे लाभार्थियों के खाते में प्रेषित की गई है। **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** के अंतर्गत 37 मार्गों का निर्माण तथा लगभग 2 हजार 500 करोड़ रुपये की नई परियोजनाएं तैयार की गईं। **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** के अंतर्गत 19,700 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें रिवॉल्विंग फण्ड एवं 12 हजार स्वयं सहायता समूहों को निवेश निधि उपलब्ध करायी गई।

नगर विकास

स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों को 02 अक्टूबर, 2018 तक खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। **अटल मिशन फार रिजूवनेशन (अमृत) योजना** के अंतर्गत प्रदेश के 60 शहर आच्छादित किए गए हैं। **अटल मिशन** के अंतर्गत योजना अवधि में 13 लाख 30 हजार परिवारों को पानी के कनेक्शन दिये जाएंगे। **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)** के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में 5 लाख आवासों के आवंटन का लक्ष्य है।

गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने हेतु 7 हजार 482 करोड़ रुपये लागत की परियोजनाएं भारत सरकार को प्रेषित की गई हैं। इनमें से अब तक 11 परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं।

नगर निकायों में स्थापित स्ट्रीट लाइटों को एल0ई0डी0 लाईट में परिवर्तित करने का निर्णय क्रियान्वित किया जा रहा है। सड़क पर फेरी को विनियमित किये जाने हेतु **फेरी नियमावली–2017** प्रख्यापित की गई है। मथुरा–वृन्दावन तथा अयोध्या–फैजाबाद को नगर निगम बनाया गया।

कुम्भ मेला–2019

गंगा, यमुना तथा सरस्वती नदियों के पावन संगम पर स्थित प्रयागराज में अनादि काल से आयोजित होने वाले विश्व के विशालतम कुम्भ पर्व को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को और प्रभावी एवं व्यापक बनाए जाने हेतु सरकार द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है। मेले के सुव्यवस्थित आयोजन हेतु **उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद** का गठन किया गया है।

मेट्रो रेल परियोजनाएं

मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन प्रारम्भ हो चुका है। कानपुर, मेरठ एवं आगरा में मेट्रो रेल सेवा प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में डी0पी0आर0 तैयार की जा चुकी है। वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर एवं झाँसी की मेट्रो परियोजनाओं को केन्द्र सरकार की नई नीति के अनुरूप संशोधित किया जा रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 7 फरवरी, 2018 तक 31 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है जो गत वर्ष की तुलना में लगभग दो गुना है। इस प्रकार, शौचालय निर्माण में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। माँ गंगा के किनारे 1 हजार 627 गाँवों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है। सम्पूर्ण प्रदेश को ओ0डी0एफ0 बनाने का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है।

सिंचाई

168 राजकीय नलकूपों का ऊर्जीकरण किया गया है। सिंचाई विभाग की अब तक अतिक्रमण की गईं परिसम्पत्तियों में 1 हजार 182 परिसम्पत्तियों से अवैध कब्जे हटवाते हुए 1 हजार 246 हेक्टेयर भूमि मुक्त कराई जा चुकी है।

लघु सिंचाई

निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत 62 हजार 510 निःशुल्क बोरिंग की गई तथा 1 हजार 146 मध्यम गहरी बोरिंग तथा 416 गहरी बोरिंग कराई जा चुकी हैं।

लोक निर्माण

सरकार के अब तक के कार्यकाल में 100 परियोजनाओं तथा सड़कों का लगभग 970 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा किया गया है।

दिसम्बर, 2017 तक 18 सेतुओं को एप्रोच मार्ग सहित पूरा करके जनता को समर्पित किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 41 रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कार्य किया जाना है। प्रदेश के 719 मार्गों का 4 लेन, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा बाईपास निर्माण हेतु लम्बाई 9 हजार 909 किलोमीटर, कुल लागत 23 हजार 824 करोड़ रुपये के कार्य प्रगति पर हैं। सड़कों को कम लागत में निर्माण हेतु आधुनिक तकनीक पर जोर देते हुए देश–विदेश के तकनीकी विशेषज्ञों के सहयोग से लखनऊ कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन किया गया।

ऊर्जा

प्रदेश में विद्युतीकरण और विद्युत संयोजन के कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गयी है। वर्ष 2017–2018 में माह दिसम्बर, 2017 तक 50 हजार 668 मजरों को विद्युतीकृत किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में दो गुना से भी अधिक है। हमारा लक्ष्य है कि 31 मार्च, 2018 तक 37 लाख 55 हजार घरों को विद्युत संयोजन दे दिया जाये। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की **सौभाग्य** योजना भी प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत लगभग डेढ़ करोड़ घरों को मार्च, 2019 तक विद्युत संयोजन दिये जाने का लक्ष्य है।

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों को दी गई आपूर्ति में लगभग 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

हमारी सरकार द्वारा **उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति– 2017** निर्गत की गई है। यह नीति 06 दिसम्बर, 2017 से पाँच वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास

कौशल विकास में प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर सुलभ कराने का निर्णय लिया गया है। 6 लाख से अधिक युवाओं का पंजीकरण तथा 4 लाख युवाओं का प्रशिक्षण पूरा कराया गया। एक लाख 40 हजार युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठानों में रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ। आई0टी0आई0 में 4 हजार प्रशिक्षण सीटों की वृद्धि की **गई। पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना** के अंतर्गत 22 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। डॉ. ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज का संचालन प्रारम्भ किया गया। लगभग 80 हजार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। छात्र–छात्राओं को सेवायोजित कराने हेतु लखनऊ, नोएडा एवं गोरखपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। सेवायोजन वेबपोर्टल का प्रचार–प्रसार एवं विकास कराया जा रहा है।

नई खनन नीति

अवैध खनन परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण करते हुए खनन प्रक्रिया में सरलीकरण, पारदर्शिता एवं राजस्व वृद्धि हेतु **उत्तर प्रदेश खनन नीति– 2017** लागू की गई है। इस खनन नीति का मूलमंत्र पारदर्शिता, कानून का राज, समता, प्रभावी, आम सहमति, उत्तरदायित्व तथा भागीदारी है। अवैध परिवहन की संभावना पर रोक लगाने हेतु ई–ट्रांजिट पास निर्गत करने के लिए विभागीय पोर्टल लांच किया गया तथा ई–एम0एम0–11 की व्यवस्था लागू की गई। अवैध खनन को सेटेलाइट के माध्यम से ट्रैक

करने हेतु भारत सरकार द्वारा विकसित माइनिंग सर्विलांस सिस्टम को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया।

वन

इको टूरिज्म की दृष्टि से 38 स्थान चिन्हित किए गए हैं। इन्हें विकसित करने हेतु हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। एण्टी भू–माफिया कार्यवाही के अन्तर्गत पहली बार बड़े स्तर पर अभियान चलाकर 1 हजार 870 हेक्टेयर से अधिक भूमि खाली करायी गई है। प्रदेश में वनाच्छादन में वृद्धि हेतु बड़े पैमाने पर 6 करोड़ 14 लाख वृक्षारोपण किया गया। इस वर्ष 9 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं।

महिला सुरक्षा एवं महिला कल्याण

प्रदेश सरकार द्वारा विवाह पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। लैंगिक असमानता के प्रति जागरूकता लाने के लिए **बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ** कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया है। 64 रेस्क्यू वैन की व्यवस्था की गई है। 181 वूमेन हेल्पलाइन स्कीम में कॉल सेन्टर की क्षमता 06 सीटर से बढ़ाकर 30 सीटर की गई, इससे पीड़ित महिलाओं को सहायता के लिए 24 घण्टे कॉल करने के लिए हेल्प लाइन सुविधा उपलब्ध करायी गई है।

मान्यवर,

अब मैं बजट में सम्मिलित विभागवार महत्त्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों को संक्षेप में सम्मानित सदन के समक्ष इन पंक्तियों के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम वादों को हकीकत में बदलने का संकल्प लेकर **सबका साथ, सबका विकास** के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं :–

तमाम राह तुम्हें बारहा रूलाएंगे,
सफ़र के सारे मक़ामात याद आएंगे।
ये जिनकी रौशनी तुमको अखर रही है अभी,
यही चराग़ तुम्हें रास्ता दिखाएंगे।

कृषि एवं संबद्ध सेवायें

● वर्ष 2018–2019 में खाद्य उत्पादन का लक्ष्य 581 लाख 60 हजार मीट्रिक टन तथा तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 11 लाख 28 हजार मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।

● **बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खेत–तालाब योजना** के अन्तर्गत आगामी वर्ष में 5 हजार तालाबों के निर्माण का लक्ष्य है। सोलर फोटो वोल्टाइक इरीगेशन पम्पों की स्थापना के लिए 131 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● **स्प्रिंकलर सिंचाई योजना** के अन्तर्गत किसानों को सब्सिडी हेतु 24 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

● प्रदेश में सरप्लस खाद्यान्न, बागवानी फसलें, दुग्ध इत्यादि के मूल्य संवर्धन हेतु **मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2017** लागू की गयी है। मुख्यमंत्री खाद्य

प्रसंस्करण मिशन के क्रियान्यवन हेतु 42 करोड़ 49 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सहकारिता

● उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण की योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है।

● प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण हेतु लगभग 31 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।

● किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु सब्सिडी योजना के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पशुपालन

● लघु एवं सीमांत कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए संचालित **पं0 दीनदयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना** हेतु लगभग 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● विकास खण्डों में पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले के आयोजन हेतु लगभग 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● **राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम** हेतु लगभग 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● प्रदेश में 770 सचल पशु चिकित्सालय संचालित किये जा रहे हैं जिससे पशु आरोग्य व नस्ल में सुधार अपेक्षित है। योजना हेतु 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

दुग्ध विकास

● डेयरी विकास फण्ड की स्थापना के लिये 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● दुग्ध मूल्य भुगतान डी0बी0टी0 प्रक्रिया के माध्यम से सीधे कृषक के खाते में भुगतान की प्रक्रिया आरम्भ की गई है।

● देशी नस्ल की गायों के माध्यम से सार्वधिक गौ दुग्ध उत्पादन करने वाले दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने की नई **नन्द बाबा पुरस्कार** योजना हेतु 52 लाख रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है साथ ही गोकुल पुरस्कार हेतु 54 लाख रुपये प्रस्तावित है।

मत्स्य

● मछुआरों के कल्याण हेतु **मत्स्य पालक कल्याण फण्ड** की स्थापना किये जाने के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● **ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट फॉर फिशरीज योजना** के अन्तर्गत 20 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है।

ग्राम्य विकास

● **प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण** के लिए वर्ष 2018–2019 के बजट में योजना हेतु 11 हजार 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** के अन्तर्गत लगभग 1 हजार 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● **श्यामा प्रसाद रूर्बन मिशन** हेतु लगभग 214 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● वर्ष 2018–2019 में **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम** हेतु 1 हजार 500 करोड़ रुपये और **राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम** हेतु 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पंचायतीराज

● **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना** हेतु वर्ष 2018–2019 में 5 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● **मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना** में उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● ग्रामीण क्षेत्रों में श्मशान एवं अन्य सभी मत, पंथ एवं मजहब के स्थलों के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

लघु सिंचाई

● **निःशुल्क बोरिंग योजना** हेतु 36 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

औद्योगिक विकास

• **औद्योगिक निवेश नीति– 2012** हेतु 600 करोड़ रुपये तथा **नई औद्योगिक नीति** हेतु 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

• **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे परियोजना** के प्रारम्भिक कार्यों हेतु वर्ष 2018–2019 के बजट में 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे परियोजना** के प्रारम्भिक कार्यों हेतु वर्ष 2018–2019 के बजट में 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। **पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे** के निर्माण हेतु 1 हजार करोड़ रुपये तथा **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे** के निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम

• **एक जनपद, एक उत्पाद योजना** को क्रियान्वित किये जाने हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराया जाना प्रस्तावित है।

• **मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना** हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराया जाना प्रस्तावित है।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

• **उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल्स एण्ड गारमेंटिंग नीति–2017** हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● पॉवरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराये जाने हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

खादी एवं ग्रामोद्योग

● **खादी एवं ग्रामोद्योग विकास तथा सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति** के क्रियान्वयन हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● **पं0 दीन दयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना** के क्रियान्वयन हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● **पं0 दीन दयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना** हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स

● समस्त शासकीय कार्यालयों में ई–ऑफिस व्यवस्था लागू किये जाने हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● स्टार्ट–अप फण्ड की स्थापना की जा रही है जिसके लिये 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

● ग्रामीण क्षेत्र हेतु 2 हजार आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात किया गया है।

● प्रथम बार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 595 दन्त शल्यकों के पद सृजित किये गये हैं ।

- पी0पी0पी0 मोड पर 170 नेशनल मोबाईल मेडिकल यूनिट का संचालन किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नये आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना का लक्ष्य है।
- **प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना** के लिए 291 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था कर दी गई है।

चिकित्सा शिक्षा

- **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज–3** के अन्तर्गत 04 मेडिकल कालेजों यथा–झाँसी, गोरखपुर, इलाहाबाद तथा मेरठ में उच्चीकृत सुपर स्पेशियलिटी विभाग बनाये जा रहे हैं तथा 02 मेडिकल कॉलेजों कानपुर एवं आगरा में सुपर स्पेशियलिटी विभाग बनाये जाने हेतु कुल 126 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- एस0जी0पी0जी0आई0 में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग का विस्तारीकरण एवं निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है जिससे 200 बेड की वृद्धि हो सकेगी । प्रदेश में पहली बार **रोबोटिक सर्जरी** को प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।
- के0जी0एम0यू0 में आर्गन ट्रान्सप्लाण्ट यूनिट स्थापित करके प्रदेश को चिकित्सा विज्ञान के अत्याधुनिक उपलब्धियों का लाभ आमजन को प्रदान किये जाने का लक्ष्य है।
- डा0राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 150 एम0बी0बी0एस0 सीटों पर प्रवेश पहली

बार कराया गया है। नवीन कैम्पस में 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग कालेज का निर्माण कराया जायेगा ।

- प्रदेश के पाँच जनपदों फैजाबाद, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहाँपुर के जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कालेज के रूप में वित्तीय वर्ष 2018–2019 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है जिसके लिये 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
- राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोयडा में शैक्षणिक सत्र 2018–2019 में एम0बी0बी0एस0 की 100 सीटों पर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा।
- राजकीय मेडिकल कॉलेज कानपुर, गोरखपुर, आगरा और इलाहाबाद में बर्न यूनिट की स्थापना की जायेगी जिसके लिये 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- राजकीय मेडिकल कालेजों तथा हृदय रोग संस्थान एवं कैंसर संस्थान, कानपुर में ई–हास्पिटल सिस्टम संचालित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

वन एवं पर्यावरण

- प्रदेश सरकार द्वारा **जन एवं वनवासी केन्द्रित राज्य वन नीति–2017** का प्रख्यापन किया गया है।

● **सबमिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री योजना** हेतु 20 करोड़ रुपये तथा कुकरैल वन क्षेत्र में पर्यटन एवं जैव विविधता केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित है।

राजस्व

● प्रदेश में भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु 42 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● **आम आदमी बीमा योजना** हेतु 10 करोड़ रुपये, **''प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना''** हेतु 130 करोड़ 60 लाख रुपये एवं **''प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना''** हेतु 4 करोड़ 75 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● प्रदेश में आपदा प्रबन्धन के वित्त पोषण हेतु **आपदा मोचन निधि** में 777 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।

खाद्य तथा रसद

● वर्तमान में **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम– 2013** के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में चयनित लाभार्थियों हेतु कुल गेहूँ 4 लाख 75 हजार मीट्रिक टन तथा कुल चावल 3 लाख 24 हजार मीट्रिक टन अर्थात् कुल 7 लाख 99 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न का प्रतिमाह आवंटन करते हुए प्रतिमाह वितरण कराया जा रहा है।

सड़क एवं सेतु

● लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश में सड़कों के निर्माण कार्यों हेतु 11 हजार 343 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

● पुलों के निर्माण के लिये 1 हजार 817 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● मार्गों के नवीनीकरण, अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य के लिये वर्ष 2018–2019 में 3 हजार 324 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

● ''आर0आई0डी0एफ0'' योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मार्गों के नव निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा सेतुओं के निर्माण हेतु 920 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वांचल की विशेष परियोजनाओं हेतु 300 करोड़ रुपये तथा बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● सड़कों के अनुरक्षण हेतु राज्य सड़क निधि में 1 हजार 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● **''केन्द्रीय मार्ग निधि योजना''** के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण हेतु 2 हजार 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● जिला मुख्यालयों को फोर लेन सड़कों से जोड़े जाने हेतु 1 हजार 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

● शहरों के बाईपास, रिंग रोड, फ्लाईओवर के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● ग्रामीण अंचलों में नदियों एवं बड़े नालों पर पुलों के निर्माण हेतु 1 हजार 467 करोड़ रुपये तथा रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 350 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● ग्राम्य विकास विभाग के बजट में **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** हेतु 2018–2019 में 2 हजार 873 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सिंचाई

● हमारी सरकार ने तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं, सरयू नहर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना एवं मध्य गंगा नहर परियोजना को वर्ष 2020 तक नाबार्ड की एल0टी0आई0एफ0 योजना से ऋण लेकर पूर्ण किये जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस हेतु नाबार्ड, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार एवं महानिदेशक राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के मध्य एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया जा चुका है।

● सरयू नहर परियोजना हेतु 1 हजार 614 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

● अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 741 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

● मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1 हजार 701 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

● कनहर सिंचाई परियोजना हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

● बाण सागर परियोजना हेतु 127 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है।

● बाढ़ एवं जल प्लावन से बचाव हेतु तटबंध निर्माण, कटाव निरोधक कार्य एवं जल निकासी की विभिन्न परियोजनाओं हेतु 1004 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

बिजली

● प्रदेश में घर–घर बिजली पहुँचाने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा भारत सरकार के साथ **पावर फॉर आल** योजना **प्रदेश में क्रियान्वित किए जाने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया।**

● भारत सरकार की **सौभाग्य** योजना प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत लगभग डेढ़ करोड़ परिवारों को मार्च, 2019 तक विद्युत संयोजन दिये जाने का लक्ष्य है।

● विद्युत आपूर्ति में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2017–2018 में 18 हजार 61 मेगावॉट पीक माँग की आपूर्ति की गई। यह विगत वर्ष की तुलना में लगभग 17 प्रतिशत अधिक है।

● हमारी सरकार ने 172 विकास खण्डों में निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण पर लगाये गये प्रतिबंध को समाप्त कर

दिया है। इससे अब प्रदेश के सभी विकासखण्डों में निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु किसानों को शासकीय अनुदान का लाभ मिल सकेगा।

● ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं हेतु वर्ष 2018–2019 में 29 हजार 883 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

अतिरिक्त ऊर्जा

● सरकार द्वारा **''सौर ऊर्जा नीति– 2017''** में निजी सहभागिता से 2022 तक कुल 10 हजार 700 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनायें स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

● निजी आवासों पर ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पॉवर प्लाण्ट स्थापना हेतु अनुदान योजना के लिये 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● **पं0 दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना** हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

● दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कारिडोर **रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना** हेतु 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

● प्रदेश में मेट्रो परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

● उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करने हेतु **रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रैरा) का गठन किया गया।**

● लखनऊ सहित प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के नए कार्यों हेतु 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन

● कुम्भ मेला 2019 हेतु बजट में 1 हजार 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● **राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण** द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं हेतु राज्यांश के रूप में बजट में 240 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

● **प्रधानमंत्री आवास योजना– सबके लिए आवास (शहरी) मिशन** योजना हेतु वर्ष 2018–2019 में 2 हजार 217 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

● लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, अलीगढ़, झाँसी मुरादाबाद, बरेली तथा सहारनपुर हेतु **स्मार्ट सिटी मिशन योजना** के अन्तर्गत 1 हजार 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● **स्वच्छ भारत मिशन** हेतु 1 हजार एक सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● **अमृत योजना** के लिये 2 हजार 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

● प्रत्येक जनपद में एक नगर पंचायत को विकसित किये जाने के उद्देश्य से **पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना** के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• **कान्हा गौ–शाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना** हेतु बजट में 98 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में **"मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना"** के अन्तर्गत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु 426 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

नियोजन

• **बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम** के लिये लगभग 57 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• विकास कार्यों को त्वरित गति से क्रियान्वित करने हेतु **त्वरित आर्थिक विकास योजना** के अन्तर्गत 1 हजार एक सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

बेसिक शिक्षा

• **सर्व शिक्षा अभियान** के अन्तर्गत 18 हजार 167 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

• कक्षा–1 से 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं यूनीफॉर्म हेतु बजट में क्रमशः 76 करोड़ रुपये एवं 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• **मध्याह्न भोजन योजना** हेतु 2 हजार 48 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, छात्र तथा छात्राओं को फल वितरित किये जाने हेतु 167 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर, पेयजल, बिजली, चहारदीवारी का निर्माण किये जाने हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है।

माध्यमिक शिक्षा

● प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु **माध्यमिक शिक्षा अभियान** हेतु 480 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

● पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल विद्यालयों के संचालन हेतु 26 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उच्च शिक्षा

● **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान** हेतु 167 करोड़ रुपये एवं मॉडल महाविद्यालयों की स्थापना हेतु 37 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है।

● **अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना** हेतु 21 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना तथा पूर्व से निर्माणाधीन महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों को पूर्ण किए जाने हेतु 106 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा

● **रूसा योजना** के अन्तर्गत जनपद गोण्डा एवं बस्ती में 2 इन्जीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की जा रही है जिसके लिये 14 करोड़ 52 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● जनपद कन्नौज, सोनभद्र तथा मैनुपरी में इंजीनियरिंग कॉलेजों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–2019 में लगभग 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है।

● राज्य के संसाधनों से मिर्जापुर तथा प्रतापगढ़ में नये इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माणाधीन हैं जिसके लिये 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

महिला एवं बाल कल्याण

● महिला एवं बाल कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु लगभग 8 हजार 815 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● किशोरी बालिका सशक्तीकरण योजना **सबला** हेतु लगभग 351 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं में पोषाहार हेतु 3 हजार 780 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है।

● **शबरी संकल्प योजना** हेतु 524 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● **निराश्रित महिला पेंशन योजना** के अन्तर्गत निराश्रित विधवाओं के भरण–पोषण अनुदान हेतु 1 हजार 263 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

समाज कल्याण

● सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं विकास की योजनाओं के लिये लगभग 7 हजार 858 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु **मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना** प्रारम्भ की गयी है जिसके लिये 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● अनुसचित जाति तथा सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु क्रमशः 121 करोड़ रुपये व 82 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है।

● **राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना** हेतु वित्तीय वर्ष 2018–2019 में 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित स्वरोजगार योजनाओं हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वर्गों के पात्र वृद्धजनों को **वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन योजना** के अन्तर्गत 2 हजार 560 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● अनुसूचित जाति के युवाओं हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन के लिये 66 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

- पिछड़ा वर्ग कल्याण की योजनाओं हेतु 1 हजार 705 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है।
- पिछड़े वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के लिये शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत 551 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यक कल्याण

- प्रदेश में अल्पसंख्यकों के विकास एवं कल्याण की योजनाओं के लिये 2 हजार 757 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अरबी–फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना हेतु 404 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
- अरबिया पाठशालाओं को अनुदान हेतु लगभग 486 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- स्थायी मान्यता प्राप्त आलिया स्तर के 246 अरबी–फारसी मदरसों को अनुदान हेतु 215 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

दिव्यांगजन कल्याण

- **दिव्यांग पेंशन योजना** के अंतर्गत 575 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **कृत्रिम अंग तथा सहायक उपकरण योजना** के अंतर्गत 33 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• **कुष्ठावस्था भरण–पोषण (पेंशन) योजना** के अंतर्गत 18 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

• दिव्यांगजन को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा के लिये 32 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

खेल

• **एकलव्य क्रीड़ा कोष** की स्थापना के लिये 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• विभिन्न स्पोर्ट्स कालेजों तथा स्टेडियमों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग 74 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• राज्य सरकार प्रदेश में खेलों के विकास के लिये कृत संकल्प है। प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रेरित करने हेतु राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार हेतु 3 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

कारागार

• प्रदेश के कारागारों में सोलर एनर्जी आधारित पावर प्लाण्ट तथा समुचित प्रकाश व्यवस्था हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

• प्रदेश के कारागारों में स्वच्छता में सुधार हेतु अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है ।

न्याय

● प्रदेश के 13 जनपदों में कामर्शियल कोर्ट का गठन किया गया है।

● इस वर्ष 24 नई स्थायी लोक अदालतों के गठन के साथ उत्तर प्रदेश, देश का ऐसा पहला राज्य हो गया है, जहाँ पर समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में स्थायी लोक अदालतें गठित हो गई हैं। इससे आम जन को निःशुल्क, त्वरित एवं प्रभावी विधिक सहायता उपलब्ध हो सकेगी।

● युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 3 वर्षों के लिए पुस्तक एवं पत्रिकाएं खरीदनें हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● इलाहाबाद में 395 करोड़ रुपये की लागत से न्याय ग्राम टाउनशिप का निर्माण प्रारम्भ किया गया है। इसमें जूडिशियल अकादमी तथा न्यायमूर्तिगण एवं कर्मचारियों के आवास सम्मिलित हैं।

धर्मार्थ कार्य

● कैलाश मानसरोवर भवन, गाजियाबाद के निर्माण के लिये 94 करोड़ 26 लाख रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

● वृन्दावन एवं बरसाना तीर्थ स्थलों की पौराणिक एवं पर्यटन की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद मथुरा की पूर्ववर्ती नगर पालिका परिषद, वृंदावन एवं नगर

पंचायत बरसाना के अधिसूचित क्षेत्र को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया है।

पर्यटन

● उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के लिए **नई पर्यटन नीति– 2018** प्रख्यापित की गई है। इस नीति में रामायण परिपथ, ब्रज कृष्ण परिपथ, बौद्ध परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, सूफी परिपथ, बुंदेलखण्ड परिपथ एवं जैन परिपथ को परिकल्पित करते हुए आकर्षक अनुदान प्रदान किए गए हैं। नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● ब्रज परिक्षेत्र में तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए **ब्रज तीर्थ विकास परिषद** की स्थापना की गई है तथा वहाँ पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न महोत्सवों एवं आयोजनों के माध्यम से राज्य की बहुरंगी सांस्कृतिक झाँकी विश्व के सम्मुख प्रस्तुत की जा रही है जिसमें आयोध्या में दीपोत्सव, बरसाना की होली, नैमिषारण्य वैचारिक चिन्तन, काशी में देव–दीपावली, लखनऊ महोत्सव इत्यादि प्रमुख हैं। इस हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। दीपावली का पर्व अत्यंत भव्यता एवं धूमधाम से मनाया गया। होली के पर्व को भी प्रदेश में आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए अत्यंत हर्षोल्लास से मनाया जाएगा।

संस्कृति

● वाराणसी में स्व0 श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पैतृक आवास को स्मृति संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है।

● गोरखपुर में आधुनिक प्रेक्षागृह का निर्माण कराया जा रहा है। इस हेतु 29 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

सचिवालय प्रशासन

● विधान भवन एवं सचिवालय की आंतरिक सुरक्षा हेतु 13 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

राजकोषीय सेवायें

हमारी सरकार का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन के साथ–साथ वित्तीय पहल से आर्थिक विकास व सुदृढ़ता को सुनिश्चित करना भी है।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर

राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 71 हजार 500 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

आबकारी शुल्क

आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 23 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

स्टाम्प एवं पंजीकरण

स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 18 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

वाहन कर

वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 7 हजार 400 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018–2019 के बजट अनुमान

मान्यवर,

अब मैं, वित्तीय वर्ष 2018–2019 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा :–

● प्रस्तुत बजट का आकार 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपये (4,28,384.52 करोड़ रुपये) है, जो वर्ष 2017–2018 के बजट के सापेक्ष 11.4 प्रतिशत अधिक है।

● बजट में 14 हजार 341 करोड़ 89 लाख रुपये (14,341.89 करोड़ रुपये) की नई योजनायें सम्मिलित की गई हैं।

प्राप्तियाँ

● वर्ष 2018–2019 में 4 लाख 20 हजार 899 करोड़ 46 लाख रुपये (4,20,899.46 करोड़ रुपये) की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।

●कुल प्राप्तियों में 3 लाख 48 हजार 619 करोड़ 37 लाख रुपये (3,48,619.37 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 72 हजार 280 करोड़ 09 लाख रुपये (72,280.09 करोड़ रुपये) की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

●राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 2 लाख 56 हजार 248 करोड़ 40 लाख रुपये (2,56,248.40 करोड़ रुपये) है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 1 लाख 22 हजार 700 करोड़ रुपये (1,22,700 करोड़ रुपये) तथा

केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 1 लाख 33 हजार 548 करोड़ 40 लाख रुपये (1,33,548.40 करोड़ रुपये) सम्मिलित है।

व्यय

●कुल व्यय 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपये (4,28,384.52 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

●कुल व्यय में 3 लाख 21 हजार 520 करोड़ 27 लाख रुपये (3,21,520.27 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा 1 लाख 06 हजार 864 करोड़ 25 लाख रुपये (1,06,864.25 करोड़ रुपये) पूँजी लेखे का व्यय है।

राजस्व बचत

●वर्ष 2018–2019 में 27 हजार 99 करोड़ 10 लाख रुपये (27,099.10 करोड़ रुपये) की राजस्व बचत अनुमानित है।

राजकोषीय घाटा

●वित्तीय वर्ष 2018–2019 में 44 हजार 53 करोड़ 32 लाख रुपये (44,053.32 करोड़ रुपये) का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो वर्ष 2018–2019 के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.96 प्रतिशत है।

●राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 29.8 प्रतिशत अनुमानित है।

समेकित निधि

●समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् 7 हजार 485 करोड़ 06 लाख रुपये (7,485.06 करोड़ रुपये) का घाटा अनुमानित है।

लोक लेखा

●लोक लेखे से 8 हजार एक सौ करोड़ रुपये (8100 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।

समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम

●वर्ष 2018–2019 में समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम 614 करोड़ 94 लाख रुपये (614.94 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

अन्तिम शेष

●वर्ष 2018–2019 में प्रारम्भिक शेष 669 करोड़ 29 लाख रुपये (669.29 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष 1 हजार 284 करोड़ 23 लाख रुपये (1284.23 करोड़ रुपये) होना अनुमानित है।

मान्यवर,

मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीया वित्त राज्यमंत्री जी तथा मंत्रिपरिषद् के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूँ कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूँ । मैं, प्रमुख सचिव एवं वित्त आयुक्त, और वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है । मैं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करता हूँ । राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया । महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिये अपना आभार प्रकट करता हूँ।

मान्यवर,

लोक कल्याण संकल्प–पत्र में विकास की संकल्पना तथा पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी के सपनों के अनुरूप समाज के विभिन्न वर्गों के विकास, कल्याण और सशक्तीकरण की योजनायें प्रस्तुत आय–व्ययक में सम्मिलित की गई हैं। मुझे विश्वास है कि जिस आदर्श प्रदेश का निर्माण करने की हम आकांक्षा रखते हैं, वह जरूर आएगा। प्रदेश के गरीबों, साधनहीनों, किसानों तथा युवाओं के उत्थान एवं उनके विकास और समृद्धि की सोच को जीवंत करने के लिए मैं, इन पंक्तियों के साथ वित्तीय वर्ष 2018–2019 का आय–व्ययक प्रस्तुत करता हूँ :–

हमारा वादा है हर घर को जगमगाएंगे,
दीयों की लौ को हवाओं से हम बचायेंगे।
स्वर्ग उतरेगा एक रोज अपनी धरती पर,
जो कोई कर नहीं पाया, वो कर दिखायेंगे।

वंदे मातरम्

माघ 27, शक संवत् 1939,

तद्नुसार,

दिनांक : 16 फरवरी, 2018